न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर,

पुनरीक्षण क्रमांक : /2013

1 रामकिशन पुत्र श्री जसरथ यादव

2. दयाराम पुत्र श्री जसरथ यादव, निवासीगण– ग्राम नंदनपुरा (मडखेरा) तहसील मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) ––आवेदकगण

बनाम

भगवान दास पुत्र श्री प्यारेलाल यादव, निवासी– ग्राम नंदनपुरा (मडखेरा) तहसील मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

––––अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जतारा, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमंक 39/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 23/09/2013 के विरूद्ध म.प्र. भू– राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यह कि, ग्राम मडखेरा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 577/3, रकवा 1.157 हेक्टर तथा सर्वे क्रमांक 577/4 रकवा 1.00 हेक्टर आवेदकगण के भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमियां है। (खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि की छाया प्रतियां संलग्न है)
2. यह कि, अनावेदकगण द्वारा आयुक्त महोदय, सागर संभाग, सागर द्वारा द्वारा प्रकरण क्रमांक 70/अ–19/1985–86 में पारित आदेश

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3789–तीन/2013 जिला–टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
१९.९.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 डी0 शर्मा उपस्थित. अनावेदक सूचना उपरान्त अनुपस्थित होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये. 2– यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला–टीकमगढ द्वारा अपील प्रकरण कमंक 23–09–2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा –50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है. 3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अनावेदक द्वारा तहसीलदार मोहनगढ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आयुक्त सागर संभाग द्वारा प्रकरण कमांक 70/अ–19/1985–86 में पारित आदेश दिनांक 21–09–1987 के अमल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर से तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 10/अ–6/2011–12 मे दर्ज करते हुए आदेश दिनांक 25–7–2012 द्वारा ग्राम मडखेडा स्थित भूमि सर्वे कमांक 577/2 रकबा 1.577 हेक्टर म0प्र0 शासन दर्ज करने के आदेश दिये किन्तु आदेश के पालन में अमल की कार्यवाही में भूमि सर्वे कमांक 577/2 के स्थान पर आवेदक की भूमि 577/3 रकबा 1.157 हेक्टर तथा सर्वे कमांक 577/4 रकबा 1.00 हेक्टर शासकीय दर्ज कर दी गयी. जिसकी जानकारी होने पर आवेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो अवधि बाहय होने के आधार पर निरस्त की गयी. उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी	

प्रस्तुत की गयी है.

4. आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में पुनरीक्षण आवेदन पत्र में वर्णित तर्को पर बल देते हुए बताया की तहसील न्यायालय द्वारा अपने आदेश द्वारा मात्र सर्वे कमांक 577/2 रकबा 1.57 हेक्टर को शासकीय अंकित किये जाने के आदेश दिये गये थे. जब कि अमल की कार्यवाही में आवेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे कमांक 577/3 एवं 577/4 को शासकीय अंकित कर दिया गया है. ऐसी अवैध कार्यवाही की जानकारी होने पर आवेदकगण द्वारा जानकारी के दिनांक से समयावधि में अपील प्रस्तुत की थी जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के अभिलेख एवं तथ्यों को समझे बिना निरस्त करने में अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नही किया है. राजस्व अभिलेखों के संघारण का दायित्व राजस्व कर्मचारियों का है उन्हे तहसीलदार के आदेश के अनुसार ही राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि करना चाहिये थी. ऐसी अवैध कार्यवाही को तकनीकी बिन्दु पर स्थिर रखा जाना न्यायोचित नही है. उपरोक्त तथ्यों के सम्बन्ध में उनके द्वारा खसरा पंचशाला की छाया प्रतियां भी प्रस्तुत की तथा पुनरीक्षण आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया.

5. आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्को एवं प्रकरण के अभिलेख एवं दस्तावेज का मेरे द्वारा अध्ययन एवं मनन किया. तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक भगवानदास द्वारा दिनांक 21–09–2011 को जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था उसमें उसके द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया था कि भूमि सर्वे कमांमक 577/2 रकबा 1.157 हेक्टर का बंटन किया गया था जिसके विरूद्ध की गयी कार्यवाही में पटटा निरस्त कर दिया गया है अतः भूमि को न्यायालय के निर्णय के

अनुसार शासकीय अंकित करने के आदेश दिये जाये. जिस पर से तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 25–7–2012 द्वारा ग्राम – मडखेडा स्थित भूमि सर्वे कमांक 577/2 रकबा पर पटवारी अभिलेख में पूर्ववत मध्यप्रदेश शासन अंकित करने के आदेश दिये गये है. उक्त आदेश में कही भी भूमि सर्वे कमाक 577/3 एवं 577/4 को शासकीय अंकित करने के आदेश नही दिय गये है. उपरोक्त प्रकरण में आवेदकगण पक्षकार भी नही है. खसरे में जो अमल की कार्यवाही की गयी है. उसमें सर्वे कमांक 577/3 एवं 577/4 को शासकीय अंकित किया जाना तहसील के आदेश दिनांक 25–7–2012 के द्वारा दर्शाया गया है. मेरे द्वारा आयुक्त सागर संभाग के आदेश दिनांक 21–9–1987 एवं तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 25–7–2012 का अवलोकन किया गया उपरोक्त आदेशो में कही भी भूमि सर्वे कमांक 577/3 एवं 577/4 को शासकीय अंकित किये जाने सम्बन्धी कोई निर्देश नही दिये गये है. उपरोक्त स्थित से यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण कार्यवाही मनमानी है. बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के एवं बिना हितबद्ध पक्षकार को सुनवायी एव साक्ष्य का अवसर दिये उसके हितो को प्रभावित किया गया है जो कि पूर्णतः विधि सम्मत नही कहा जा सकता है. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी उपरोक्त महत्वपूर्ण बिन्दु पर विचार न करते हूए मात्र अत्यन्त संकीर्ण रूख अपनाते हूए ऐसी अवैध कार्यवाही को समयावधि के बिन्दु पर स्थिर रखने में तथा आवेदकगण की अपील को निरस्त करने में अपने विवेक का उचित प्रयोग नही किया है. उपरोक्त परिस्थितियों में उपरोक्त कार्यवाही को स्थिर रखा जाना न्यायोचित नही पाता हूँ. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक

–4– **प्रकरण कमांक** निगरानी 3789–तीन/2013
39/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 23–09–2013 निरस्त किया जाता है. तथा तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम– मडखेरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 577/3 रकबा 1.157 हेक्टर तथा भूमि सर्वे कमांक 577/4 रकबा 1.00 हेक्टर पर आवेदकगण का नाम पूर्ववत भूमिस्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित करे. उपरोक्तानुसार यह निगरानी आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है. अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख भेजे जाये तदोपरान्त प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो.

सदस्य